

## सामान्यतः अभ्यर्थियों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न

### (FREQUENTLY ASKED QUESTION)

मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट एम.डी./एम.एस. 2025

प्रश्न 1— राज्य के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में एन0 आर0 आई0 कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु पात्रता क्या होगी ?

उत्तर— अभ्यर्थी का नीट एम.डी./एम.एस. 2025 की चयन परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित पर्सेन्टाईल/अंक होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 09 मार्च 2018 (एवं समस्त संशोधन) में प्रदर्शित मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के नियम 2(ख) के अनुसार पात्रता रखता हो।

प्रश्न 2— क्या एन0आर0आई0 अभ्यर्थी एन0आर0आई0 कोटे की सीटों के अतिरिक्त ओपन श्रेणी की सीटों पर भी पात्रता रखता है ?

उत्तर— एन0आर0आई0 अभ्यर्थी अपनी पात्रता/मेरिट के अनुसार ओपन श्रेणी की अनारक्षित सीटों पर भी आवंटन की पात्रता रखता है।

प्रश्न 3— क्या एन0आर0आई0 कोटे की सीटों पर सामाजिक आरक्षण (Social reservation) लागू है ?

उत्तर— नहीं।

प्रश्न 4— क्या एन0आर0आई0 अभ्यर्थी को एन0आर0आई0 कोटे की सीटों हेतु पृथक से पंजीयन कराना होगा?

उत्तर— एन0आर0आई0 अभ्यर्थी को एन0आर0आई0 कोटे की सीटों हेतु एक ही पंजीयन कराना होगा।

प्रश्न—5 क्या एन0आर0आई0 अभ्यर्थी जिसने एम0बी0बी0एस0 मध्य प्रदेश के एन0एम0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण की है तो क्या उसे प्राथमिकता का लाभ मिलेगा ?

उत्तर — हाँ। काउंसिलिंग के प्रथम चरण में केवल एम0पी0 में स्थित चिकित्सा महाविद्यालयों से एम0बी0बी0एस0 उत्तीर्ण एन0आर0आई0 अभ्यर्थी ही च्वाइस

फिलिंग कर सकेगा। द्वितीय एवं आगामी चरणों में अन्य अभ्यर्थी भी च्वाईस फिलिंग कर सकेगा।

प्रश्न-6 च्वाईस फिलिंग हेतु क्या कोई शुल्क देय होगा ?

उत्तर - काउंसिलिंग के प्रत्येक चरण में च्वाईस लॉकिंग के समय अभ्यर्थी को रुपये 100/- पोर्टल शुल्क के रूप में जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त,

(i) द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोड़कर च्वाईस फिलिंग हेतु अभ्यर्थियों को:-

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में च्वाईस फिलिंग हेतु अनारक्षित श्रेणी - रु. 25,000/- (रु० पच्चीस हजार) तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को रु. 12,500/- (रु० बारह हजार पांच सौ) का अग्रिम शुल्क जमा करना होगा।

(ii) निजी चिकित्सा की च्वाईस फिलिंग हेतु रु० 2,00,000/- (रु. दो लाख ) देय होगा।

(iii) एन०आर०आई० अभ्यर्थियों को रु० 10,00,000/- (रु. दस लाख) जमा करना होगा।

(iv) मॉप अप चरण के लिए सभी अभ्यर्थियों को रु० 2,00,000/- (रु० दो लाख) एवं एन०आर०आई० अभ्यर्थियों को रु० 10,00,000/- (रु. दस लाख) जमा करना होगा।

शुल्क का समायोजन प्रवेश नियम के बिन्दु 12 (7) के अनुसार होगा।

प्रश्न -7 क्या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रत्येक चरण की काउंसिलिंग से पूर्व होगी ?

उत्तर - रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रथम चरण से पूर्व एवं द्वितीय चरण के पश्चात्, मॉप अप चरण से पूर्व की जावेगी।

प्रश्न -8 मेरे द्वारा नीट पीजी एम०डी०/एम०एस० 2025 में श्रेणी विकल्प अनारक्षित (UR) दिया गया है, मैं मध्यप्रदेश में ई०डब्ल्यू०एस श्रेणी के लिए पात्र हूँ मुझे क्या करना होगा ?

उत्तर — यदि आप ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी की पात्रता रखते हैं तो काउंसिलिंग से पूर्व रजिस्ट्रेशन करते समय श्रेणी का विकल्प अनारक्षित (UR) न देते हुये ई0डब्ल्यू0एस0 का विकल्प चुनना होगा। आपके पास मध्य प्रदेश के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये जारी किया गया ई0डब्ल्यू0एस0 प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है जिसे ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड किया जाना होगा।

प्रश्न-9 प्रथम चरण की काउंसिलिंग में मुझे जो सीट आवंटित हुई है उस पर यदि मैं प्रवेश नहीं लेता हूँ, तो क्या मैं आगामी चरणों की काउंसिलिंग के लिये पात्र रहूँगा या नहीं ?

उत्तर — प्रथम चरण की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर यदि प्रवेश नहीं लेते हैं, तो आगामी चरणों की काउंसिलिंग के लिये आप पात्र रहेंगे।

प्रश्न 10— प्रथम चरण की काउंसिलिंग में मुझे कोई सीट आवंटित नहीं हुई है क्या मैं अगले चरणों की काउंसिलिंग के लिये पात्र रहूँगा?

उत्तर — यदि प्रथम चरण की काउंसिलिंग में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, तो आप अगले चरणों की काउंसिलिंग के लिये पात्र रहेंगे।

प्रश्न 11— प्रथम चरण की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर मैंने प्रवेश लिया है, एवं प्रवेश के समय मैंने द्वितीय चरण हेतु अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है तो क्या अपग्रेडेशन न होने की स्थिति में मेरी पूर्व की सीट यथावत रहेगी अथवा नहीं?

उत्तर— द्वितीय चरण में अपग्रेड नहीं होने की स्थिति में प्रथम चरण की प्रवेशित सीट यथावत रहेगी।

प्रश्न 12— प्रथम चरण की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर मैंने प्रवेश लिया है, एवं प्रवेश के समय मैंने द्वितीय चरण हेतु अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है तो क्या अपग्रेडेशन होने की स्थिति में मुझे अपग्रेडेड सीट/महाविद्यालय/श्रेणी में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा ?

उत्तर— अपग्रेडेशन के विकल्प दिये जाने के अनुक्रम में द्वितीय चरण में अपग्रेड होने की स्थिति में आपको अपग्रेडेड सीट/महाविद्यालय/श्रेणी अनुसार नवीन आवंटित संस्था में प्रवेश लेना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी पूर्व चरण से प्रवेशित

महाविद्यालय में अपग्रेड होता है तो उसे उसी महाविद्यालय में पुनः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य होगा। ऑनलाईन अपग्रेडेशन प्रक्रिया के दौरान अपग्रेडेशन होने पर अभ्यर्थी की पूर्व प्रवेशित सीट स्वतः निरस्त हो जाती है एवं दूसरे पात्र अभ्यर्थी को मेरिट के अनुसार आवंटित हो जाती है।

प्रश्न 13— द्वितीय चरण में आवंटन होने पर यदि मैं आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेता हूँ तो क्या मैं अगले चरणों की काउंसिलिंग हेतु पात्र रहूंगा अथवा नहीं ?

उत्तर — द्वितीय चरण में आवंटन होने के उपरान्त आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी आगामी चरणों की काउंसिलिंग के लिये अपात्र रहेगा तथा उसके द्वारा द्वितीय चरण हेतु जमा कराई गई अग्रिम राशि नियमानुसार राजसात होगी।

प्रश्न 14— यदि मैं प्रथम चरण की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लेता हूँ एवं उस सीट से त्याग पत्र देता हूँ तो क्या मैं आगामी चरणों की काउंसिलिंग के लिये पात्र रहूंगा।

उत्तर— प्रथम चरण से प्रवेशित सीट से द्वितीय चरण प्रारंभ होने से 2 दिवस पूर्व तक त्यागपत्र देने की स्थिति में आगामी चरणों की काउंसिलिंग के लिये अभ्यर्थी पात्र होंगे। द्वितीय अथवा मॉप अप चरण की सीट से त्यागपत्र देने की स्थिति में अभ्यर्थी आगामी चरणों की काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे।

प्रश्न 15— यदि मैं प्रथम चरण की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लेता हूँ परन्तु यदि मैं उस सीट से त्यागपत्र देता हूँ तो मुझे कितना शैक्षणिक शुल्क वापिस होगा।

उत्तर— समय सारणी में उल्लेखित द्वितीय चरण की निर्धारित काउंसिलिंग के प्रारंभ होने के दो दिवस पूर्व तक त्यागपत्र देने पर जमा की गई फीस में से 10 प्रतिशत फीस (अधिकतम दस हजार रुपये) काटकर शेष राशि वापस कर दी जायेगी। एनआरआई अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त समय सीमा में त्यागपत्र दिया जाता है तो ₹0 25000/-कटौती किया जाकर शेष राशि वापस कर दी जायेगी।

प्रश्न 16— द्वितीय चरण के लिये अपग्रेडेशन हेतु क्या प्रक्रिया करनी होगी ?

उत्तर— प्रथम चरण में आवंटन उपरान्त आवंटित संस्था में प्रवेश के समय द्वितीय चरण के लिये अपग्रेडेशन हेतु अभ्यर्थी को Yes or No के विकल्प में से एक को चुनना अनिवार्य होगा। विकल्प दिये जाने के उपरान्त ही ऑनलाईन प्रवेश स्लिप जनरेट होगी। अभ्यर्थी दिये गये विकल्प में समय सारणी में उल्लेखित अपग्रेडेशन हेतु निर्धारित समय सीमा में केडिंडेट लॉगिन से एडिट कर सकेगा।

प्रश्न-17 प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देने पर सीट लिविंग बॉण्ड कब लागू होगा ?

उत्तर— मॉप अप चरण की काउंसिलिंग प्रारंभ होने के दो दिवस पूर्व तक प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दिये जाने पर सीट लिविंग बॉण्ड लागू नहीं होगा। मॉप अप चरण की काउंसिलिंग प्रारंभ होने के उपरान्त सीट छोड़ते हैं तो नियमानुसार सीट लीविंग बॉण्ड लागू होगा।

प्रश्न-18 द्वितीय चरण में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी की पात्रता क्या होगी ?

उत्तर— द्वितीय चरण में वह अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जो काउंसिलिंग हेतु पंजीकृत हैं एवं प्रथम चरण की काउंसिलिंग में भाग नहीं लिया है अथवा जिन्हें प्रथम चरण की काउंसिलिंग में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है अथवा प्रथम चरण की काउंसिलिंग से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने द्वितीय चरण की काउंसिलिंग हेतु प्रथम चरण के प्रवेश के समय अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया है अथवा अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चरण में आवंटन उपरान्त प्रवेश नहीं लिया गया हो अथवा प्रवेश उपरान्त प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दे दिया गया हो।

प्रश्न-19 क्या द्वितीय चरण में भाग लेने हेतु पुनः च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग करना होगा?

उत्तर— द्वितीय चरण में भाग लेने हेतु सभी पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित अग्रिम शुल्क जमा करने के पश्चात च्वाइस फिलिंग एवं च्वाइस लॉकिंग (शुल्क सहित) किया जाना अनिवार्य होगा।

प्रश्न-20 द्वितीय चरण/मॉप अप चरण में जमा किये गये अग्रिम शुल्क का समायोजन किस तरह से होगा।

उत्तर — द्वितीय चरण/मॉप अप चरण में सीट आवंटित होने की स्थिति में प्रवेश के समय यह राशि आवंटित संस्था की कुल शैक्षणिक शुल्क में समायोजित कर

दी जायेगी। यदि द्वितीय चरण में कोई सीट आवंटित नहीं होती है तो काउंसिलिंग उपरान्त यह राशि अभ्यर्थी के बैंक खाते में वापिस कर दी जायेगी, परन्तु अभ्यर्थी जिन्हें द्वितीय चरण/मॉप अप चरण में कोई सीट आवंटित होती है एवं वह आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेता है तो इस दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा कराई गई अग्रिम शुल्क राजसात हो जायेगी।

प्रश्न -21. मैं प्रथम चरण की काउंसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ एवं मैंने द्वितीय चरण हेतु अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है ऐसी स्थिति में क्या मैं प्रवेशित सीट से त्याग पत्र दे सकता हूँ।

उत्तर— हों।

प्रश्न-22 मॉप अप चरण हेतु पात्रता क्या होगी?

उत्तर— ऐसे पंजीकृत अभ्यर्थी जिन्हें :-

- (i) प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो।
- (ii) नवीन पंजीकृत अभ्यर्थी।
- (iii) प्रथम/द्वितीय चरण से प्रवेशित अभ्यर्थी जिन्होंने मॉप अप चरण हेतु अपग्रेडेशन का विकल्प दिया होगा।

प्रश्न-23 पात्र अभ्यर्थी को मॉप अप चरण में भाग लेने के लिये क्या करना होगा?

उत्तर— मॉप अप चरण हेतु च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग से पूर्व रू0 2.00 लाख (रू. दो लाख) एवं एन0आर0आई0 अभ्यर्थियों हेतु रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) अग्रिम शुल्क के रूप में जमा करनी होगी, तभी वह च्वाइस फिलिंग एवं च्वाइस लॉकिंग कर पायेंगे।

प्रश्न-24 मॉप अप चरण हेतु अग्रिम शुल्क रू0 2.00 लाख तथा रू0 10.00 लाख का समायोजन किस तरह से होगा?

उत्तर — सीट आवंटित होने की स्थिति में प्रवेश के समय यह राशि आवंटित संस्था की कुल शैक्षणिक शुल्क में समायोजित कर दी जायेगी। यदि मॉप अप राउण्ड में कोई सीट आवंटित नहीं होती है तो काउंसिलिंग समाप्ति उपरान्त यह राशि

अभ्यर्थी के बैंक खाते में वापिस कर दी जायेगी, परन्तु अभ्यर्थी जिन्हें मॉप अप चरण में कोई सीट आवंटित होती है एवं वह आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेता है तो इस दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा कराई गई अग्रिम शुल्क रू0 2.00 लाख एवं रू0 10.00 लाख राजसात हो जायेगी।

प्रश्न 25— मुझे प्रथम चरण में एन आर आई कोटे से प्रथम च्वाइस की सीट आवंटित हुई थी, मैंने उस पर प्रवेश ले लिया है, अब मैं द्वितीय चरण में दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूँ, क्या यह संभव है?

उत्तर— इसके लिये प्रथम चरण द्वारा प्रवेश के समय अपग्रेडेशन का ऑप्शन देना आवश्यक है तथा द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में पुनः च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग करना होगी।

प्रश्न 26— क्या नीट पीजी एम0डी0/एम0 एस0 काउंसिलिंग 2025 हेतु मध्य प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थी पात्र हैं?

उत्तर— प्रथम चरण की काउंसिलिंग में राज्य के बाहर के अभ्यर्थी अथवा ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा एमबीबीएस पाठ्यक्रम राज्य के किसी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण नहीं की गई हो उन्हें राज्य के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की 50 प्रतिशत ओपन सीटों पर आवंटन की पात्रता रहेगी। द्वितीय चरण एवं उसके बाद के चरणों में मध्य प्रदेश में स्थित चिकित्सा महाविद्यालयों से एम0बी0बी0एस0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी मेरिट में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मेरिट कम च्वाइस के आधार पर **Institutional quota** की सीटों पर आवंटन की पात्रता होगी।

प्रश्न 27— मुझे काउंसिलिंग के चरण में सीट आवंटित होने की स्थिति में क्या करना होगा ?

उत्तर— यदि काउंसिलिंग के किसी चरण में आपको सीट आवंटित होती है तो आवंटन आदेश की प्रति के साथ अनुसूची-3/प्रारूप-1 में उल्लेखित प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज लेकर अभ्यर्थी को स्वयं आवंटित महाविद्यालय में जाकर प्रवेश की प्रक्रिया मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के बिन्दु क्रमांक 10 के अन्तर्गत समय सीमा में पूर्ण करना होगा। अभिलेखों के सत्यापन

उपरान्त पात्र पाये जाने पर पूर्ण शैक्षणिक शुल्क ऑनलाईन जमा करने के उपरान्त ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी।

प्रश्न 28— क्या रजिस्ट्रेशन/च्वाईस फिलिंग के लिये मुझे महाविद्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा।

उत्तर— रजिस्ट्रेशन एवं च्वाईस फिलिंग ऑनलाईन प्रक्रिया है अभ्यर्थी यह दोनों प्रक्रियाएं किसी भी स्थान से इन्टरनेट के माध्यम से एम पी ऑनलाईन के पोर्टल पर कर सकेंगे। अभ्यर्थी को आवंटन आदेश प्राप्त होने के पश्चात् ही महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया हेतु उपस्थित होने की आवश्यकता है।

प्रश्न 29— च्वाईस फिलिंग में न्यूनतम एवं अधिकतम कितनी च्वाईस भरना अनिवार्य है।

उत्तर — च्वाईस फिलिंग में न्यूनतम एक च्वाईस भरना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अधिकतम समस्त च्वाईस भर सकता है। च्वाईस फिलिंग के पश्चात अभ्यर्थी च्वाईस लॉक करना सुनिश्चित करें।

प्रश्न 30— क्या मैं बेहतर सीट (अपग्रेड) का विकल्प भर सकता हूँ।

उत्तर — प्रवेशित अभ्यर्थी प्रथम चरण में द्वितीय चरण हेतु अथवा द्वितीय चरण में मॉप चरण हेतु अपग्रेड का विकल्प प्रवेश के समय आवंटित संस्था स्तर पर दे सकेंगे। अभ्यर्थियों को उनके कैंडिडेट लॉगिन (Candidate Login) पर दिये गये विकल्प को एडिट करने की सुविधा उस चरण हेतु प्रदर्शित समय सारणी में उल्लेखित निर्धारित समय सीमा तक उपलब्ध रहेगी।

प्रश्न 31— मॉप अप राउण्ड के पश्चात् रिक्त सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जायेगा।

उत्तर — मॉप अप राउण्ड के पश्चात् रिक्त सीटों का आवंटन मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के बिन्दु 13 के अनुसार किया जायेगा।

प्रश्न 32— Online RTGS/NEFT करने के लिए मुझे क्या करना होगा?

उत्तर — अभ्यर्थियों को अपने कैंडिडेट लागईन के माध्यम से Online RTGS/NEFT भुगतान करने हेतु जितनी राशि का भुगतान एक समय में अभ्यर्थी द्वारा किया जा रहा है उतनी ही राशि का ही ऑनलाईन चालान जनरेट करना होगा। पूरी राशि का भुगतान एक ट्रांजेक्शन में न किये जाने कि स्थिति में बची राशि

का चालान पुनः जनरेट करना होगा। कुल राशि के भुगतान हेतु अभ्यर्थी Multiple Transaction कर सकता है।

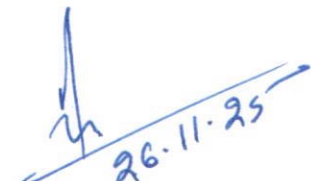
उदाहरण—

\*Payment Amount= 3000000, Challan needed to be generated is for Rs. 3000000

\*If candidates want to pay Rs. 3000000 through 3 transactions. In this case candidate will have to generate challan equal to the amount he/she paying online through each transaction.

प्रश्न 33— काउंसिलिंग की प्रक्रिया/दिशा निर्देश के लिये मुझे किस वेबसाइट का इस्तेमाल करना होगा।

उत्तर— काउंसिलिंग की सम्पूर्ण प्रक्रिया [dme.mponline.gov.in](http://dme.mponline.gov.in) पर संपन्न की जायेगी। इसके अतिरिक्त संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in) पर काउंसिलिंग से संबंधित दिशा निर्देश प्रकाशित किये जायेंगे। अभ्यर्थी एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल एवं संचालनालय की वेबसाइट के सतत संपर्क में रहें।

  
26.11.25  
संचालक चिकित्सा शिक्षा  
मध्य प्रदेश